

Form no 111

फर्द अहकाम
(नियम 133)

भज अदालत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़
मान- राय सिंह बनाम अमीलाल उर्फ ईगीचंद आदि
I :- 88 आर.पी.ए. राजस्व वाद संख्या:- 50 / 2020

हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ।
<p>26.2.2020 अभिभाषक वादी के वकील श्री रामकुमार विशनोई द्वारा अन्तर्गत वाद-पत्र पेश किया गया। सरिस्ता रिपोर्ट हो चुकी है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक व साधारण नोटिस द्वारा तलब किया जावे। पत्रावली 04.03.2020 दिनांक को पेश हो।</p> <p>04.03.2020 वादी के अधिवक्ता उपस्थित प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की और से सुश्री सन्तोष पुनियां अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया शामिल पत्रावली किया। वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा मय साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जो खुले न्यायालय में पढ़ की सुनाये जानें पर उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किये जानें पर राजीनामा पर उभयपक्ष के हस्ताक्षर करवाये गये उभयपक्ष की पहचान उनके अधिवक्तागण द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।</p> <p>प्रकरण में किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं होना से वहस सुनी गई वहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाये जानें पर स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जानें के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया।</p> <p>पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>(कपिल यादव) उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़</p>	<p>214/2020 g. by me 4/3/2020 अमीलाल ईगीचंद N. Khilary वकील J by me Santosh</p>

Scanned by CamScanner

